BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने के 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त गोपाल उर्फ गोपाली, मोतीलाल उर्फ मोतीराम पुत्रगण मोहनलाल, भगवान दास पुत्र फतेह सिंह व एनवाब उर्फ रियासत पुत्र अल्लानूर निवासीगण ग्राम जवां कला थाना जवां जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष-2017 में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.12.2017 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 1961/17 धारा 307,34,147,148 भादवि तथा बरामदगी के सम्बन्ध में क्रमशः मुअसं-1962/17, मुअसं-1963/17, मुअसं-147/18, मुअसं-260/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये एवं दिनांक 21.02.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 02 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.11.2024 को न्यायाधीश मौहम्मद नसीम (मा0 न्यायालय एडीजे -05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गोपाल उर्फ गोपाली, मोतीलाल उर्फ मोतीराम, भगवान दास व एनवाब को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर